न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 30 / 2020

अनवान :–

1. कृष्ण पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. ओमी पत्नी भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र लालुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. भवानीदेवी पत्नी रमेश कुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. भागाराम पुत्र लालुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. मुखराम पुत्र लालुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. रामकुमार पुत्र लालुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. रामस्वरूप पुत्र भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. सुभाष पुत्र भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

10. सतवीर पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर

–तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री महेश चन्द्र शर्मा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 27/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी एव तरतीबी प्रतिवादी की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 571 / 334 की कुल 1.771हैक बतौर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार सायल के चिपते हुए गैरसायलान की कृषि भूमि खाता संख्या 49 / 49 की कुल 2.0240हैक भूमि स्थित है।

सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 10 अपने खेत में आवागमन के लिये प0न0 319 / 360 (316) के जो मंजुर शुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल के खेत में प्रवेश करके अपने खेत में आवागमन करता है सायल के खेत में जाने के लिये प0न0 319 / 360(316) के किला न0 1 / 2 व किला न0 10 में पश्चिमी दिशा में 1– 1 बिश्वा उत्तर से दक्षिण चलकर अपने खेत में प्रवेश करता है इसके अलावा अन्य खेत में आवागमन करने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है यह सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है उक्त रास्ता सदामत से आवागमन करता रहा है लेकिन [illegible] रिकार्ड में मंजूर नही होने के कारण गैरसायल हमेशा रास्ता बन्द [illegible] यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल व तरतीबी गैरसायल को नापुरा होने [illegible] नुकसान होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 गैरसायलान को कई मर्तबा कहा की वह उक्त रास्ता को स्वीकार करवा लेवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 49/49 के प0न0 319/360(316) के किला न0 1, 10 में से पश्चिम दिशा में 1–1 गठठा/बिश्वा रास्ता उत्तर से दक्षिण स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें एव रास्ता की भूमि की एवज में रोही मौजा चक 3 बारसनी के खाता संख्या 571/334 के प0न0 319/360(316) के किला न0 11 में से 2 बिश्वा भूमि उतरी दिशा में रास्ता को छोडकर साल के खाते में से गैरसायल के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल 1 ,2 , 4 ता 8 को रजिस्टर्ड सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई गैरसायल संख्या 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

उत्तरदाता की भूमि 319/360(316) सयुक्त खाते की भूमि है मु0न0 316 के किला न0 1/2 में पूर्व से ही मंजूर शुद्वा रास्ता है इस किला में सायल रास्ता पाने का अधिकारी नही है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में कही भी यह अंकित नही किया की वो प0न0 319/360(316) के किला न0 11 में कहा से प्रवेश करता है तथा स्वीकृत रास्ता कहा से कहा तक है एक ही किला में अगर पूर्व में रास्ता व खाता दर्ज हो तो नया रास्ता किसी कदर स्वीकृत नही किया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो मिन प्रार्थीया के खेत के टुकडे हो जावेगे ।

मिन प्रार्थीया की कृषि भूमि जो सयुक्त खाता की है तथा उसके हिस्से में मुताबिक बाहमी बटवारा प0न0 319/360(316ल के किला न0 1 ,10 व प0न0 318/360(315) के किला न0 5 आई है जिसमें 315 के किला न0 5 में 316 के किला न0 1 मे पूर्व ही स्वीकृत शुद्वा रास्ता है इसके बावजूद नया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो भूमि काश्त के काबिल ही नही रहेगी सायल के ना तो नजदीकी और ना ही सुविधा जनक रास्ता है ना ही आवागमन किया गया है प्रार्थी उक्त किलों में रास्ता पाने का अधिकारी नही है सयल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 3 का जबाब शामिल मिसल किया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता [illegible] प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की [illegible] 3 [illegible] संख्या 571/334 की कुल 1.771हैक बतौर खातेदार [illegible] है। इसी प्रकार सायल के चिपते हुए गैरसायलान की कृषि भूमि खाता संख्या 49/49 [illegible] कुल 2.0240हैक भूमि स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 10 अपने खेत में आवागमन के लिये प0न0 319/360 (316) के जो मंजुर शुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल के खेत में प्रवेश करके अपने खेत में आवागमन करता है सायल के खेत में जाने के लिये प0न0 319/360(316) के किला न0 1/2 व किला न0 10 में पश्चिमी दिशा में 1– 1 बिश्वा उत्तर से दक्षिण चलकर अपने खेत में प्रवेश करता है इसके अलावा अन्य खेत में आवागमन करने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है यह सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है जिसे स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे एव रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देने को तैयार है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

गैरसासयल संख्या 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की उत्तरदाता की भूमि 319/360(316) सयुक्त खाते की भूमि है मु0न0 316 के किला न0 1/2 में पूर्व से ही मंजूर शुद्वा रास्ता है इस किला में सायल रास्ता पाने का अधिकारी नही है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में कही भी यह अंकित नही किया की वो प0न0 319/360(316) के किला न0 11 में कहा से प्रवेश करता है तथा स्वीकृत रास्ता कहा से कहा तक है एक ही किला में अगर पूर्व में रास्ता व खाता दर्ज हो तो नया रास्ता किसी कदर स्वीकृत नही किया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो मिन प्रार्थीया के खेत के टुकडे हो जावेगे ।

मिन प्रार्थीया की कृषि भूमि जो सयुक्त खाता की है तथा उसके हिस्से में मुताबिक बाहमी बटवारा प0न0 319/360(316ल के किला न0 1 ,10 व प0न0 318/360(315) के किला न0 5 आई है जिसमें 315 के किला न0 5 में 316 के किला न0 1 मे पूर्व ही स्वीकृत शुद्वा रास्ता है इसके बावजूद नया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो भूमि काश्त के काबिल ही नही रहेगी सायल के ना तो नजदीकी और ना ही सुविधा जनक रास्ता है ना ही आवागमन किया गया है प्रार्थी उक्त किलों में रास्ता पाने का अधिकारी नही है सयल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 571/334 की कुल 1.771हैक बतौर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार सायल के चिपते हुए गैरसायलान की कृषि भूमि खाता संख्या 49/49 की कुल 2.0240हैक भूमि स्थित है अर्थात सायल एव तरतीबी गैरसायल संख्या 10 एव गैरसायल संख्या 1 ता 8 एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है।

गैरसायल संख्या 3 के कथनानुसार वाद भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है तथा बाहमी बटवारा में गैरसायल संख्या 3 को प0न0 319/360(316) के किला न0 1 ,10 व प0न0 318/360(315) के किला न0 5 आई है जो स्वीकृत किया गया है उसकी भूमि में पूर्व से ही रास्ता व खाला स्वीकृत है और रास्ता स्वीकृत करने से गैरसायल संख्या 3 को क्षति होगी व भूमि टुकडों में बट जावेगी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी पडोसीयो के खेत में से मांगकर अपने खेत में जाते है चक 3 बारानी के प0न0 318/360 (315) व प0न0 319/360(316) किला न0 1 ता 5 में पश्चिम से पूर्वी की और दो– दो बिश्वा रास्ता स्वीकृतशुद्वा है जो प्रार्थी की भूमि से केलव दो किला दुरी पर है तथा प्रार्थी की भूमि से निकटतम दुरी पर हे प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही है यही निकटतम रास्ता है ।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट अनुसार गैरसायलान की भूमि के प0न0 319/360(316) के किला न0 1 ता 5 में मुख्य रास्ता स्वीकृत शुद्वा है जो वर्तमान चालू हे नजरीय नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि सायल को उसकी भूमि में जाने के लिये कोई भी रास्ता नही है सायल की भूमि स्वीकृत शुद्वा रास्ता से मात्र दो किला की दुरी पर है सायल के द्वारा पत्थर लाईन पर ही रास्ता की मांग की गई है जो उचित है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायल की खातेदारी भूमि तक पहुचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतित होता है ।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतित होता है

अतः साायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 49/49 के प0न0 319/360(316) के किला न0 1, 10 में से पश्चिम दिशा में 1–1 गठठा/बिश्वा रास्ता उत्तर से दक्षिण स्वीकृत किया जाता है एव रास्ता की भूमि की एवज में रोही मौजा चक 3 बारसनी के खाता संख्या 571/334 के प0न0 319/360(316) के किला न0 11 में से 2 बिश्वा भूमि उतरी दिशा में रास्ता को छोडकर सासल के खाते में से गैरसायल के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/05/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व/2024/512 दिनांक 28/05/24

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 30 सन 2020 निर्णय दिनांक

अनवान :– अनवान :–

1. कृष्ण पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1 ओमी पत्नी भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र लालुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. भवानीदेवी पत्नी रमेश कुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. भागाराम पुत्र लालुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. मुखराम पुत्र लालुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. रामकुमार पुत्र लालुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. रामस्वरूप पुत्र भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. सुभाष पुत्र भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

10. सतवीर पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर

–तरतीबी गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 49/49 के प0न0 319/360(316) के किला न0 1, 10 में से पश्चिम दिशा में 1–1 गठठा/बिश्वा रास्ता उत्तर से दक्षिण स्वीकृत किया जाता है एव रास्ता की भूमि की एवज में रोही मौजा चक 3 बारसनी के खाता संख्या 571/334 के प0न0 319/360(316) के किला न0 11 में से 2 बिश्वा भूमि उतरी दिशा में रास्ता को छोडकर सासल इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन/ दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested